

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री मुजीबुर्रहमान खान, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:-

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचित श्रेणी	परियोजना	SEAC अनुशंसित/ पोर्टल पर आवेदित	द्वारा परिवेश	प्राधिकरण का निर्णय
A. SEAC द्वारा अनुशंसित प्रकरण						
1.	9914/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
2.	9343/2022	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
3.	9908/2023	1(a)	रेत खदान	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति		स्वीकृत
4.	9889/2023	1(a)	पत्थर, एम.सेण्ड एवं मुरुम खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
5.	9900/2023	8(b)	स्मार्ट इण्डस्ट्रीयल टाउनशिप	पूर्व पर्यावरण स्वीकृति अनुशंसित नहीं		Delisted
6.	9880/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR		Closed
7.	9890/2023	1(a)	मुरुम खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
8.	9897/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
9.	9894/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
10.	9874/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
11.	9860/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
12.	9859/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
13.	9898/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
14.	9856/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
15.	9864/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
16.	9896/2023	1(a)	फर्शीपत्थर खदान	For ToR		स्पष्टीकरण
17.	9895/2023	1(a)	पत्थर खदान	For ToR		ToR स्वीकृत
18.	9888/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR		ToR स्वीकृत


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वीं बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

19.	9873/2023	1(a)	डोलोमाईट खदान	For ToR	ToR स्वीकृत
B. नीतिगत निर्णय					
C. राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपालन बावत् ।					

1. प्रकरण क्र. 9914/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी- ई-46, ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 53200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.94 हेक्टेयर, खसरा 31, ग्राम बुढेरा, तहसील सेंवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

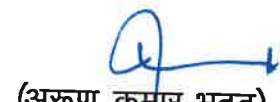
राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वीं बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 644वीं बैठक दिनांक 12.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 53200 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 54000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 53200 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 56700 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 53200 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक निर्धारित राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।

- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग की समिति को निर्धारित राशि रु. 7,00,000/- और 10 परसेंट रख रखाव के लिए रु. 70,000/- राशि प्रदान की जायेगी :-

क.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	1-3 पंक्ति - खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (500) 4-5 पंक्ति - कटंग बाँस, (300) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानिय प्रजातियाँ (200)	1000
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलों, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	4000
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	1000
कुल			6000

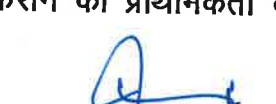
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम बुडैरा स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय में मरम्मत एवं रंगरोगन का कार्य तथा 50 टेबल - चेयर का सेट प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

- VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 15.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

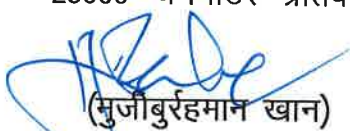
परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी- ई-46, ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 53200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.94 हेक्टेयर, खसरा 31, ग्राम बुढेरा, तहसील सेंवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का पत्र क्र. 6278 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

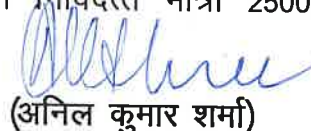
2. प्रकरण क्र. 9343/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी- 9 ए, पैरामाउंट विला, अंशल श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम करारागंज, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

1. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

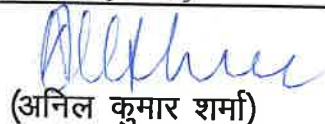

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

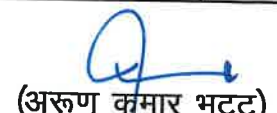
अनुशंसित उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 1,26,000 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- V. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि रु. 4.00 लाख परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा निम्नानुसार दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग की समिति को निर्धारित राशि प्रदान की जायेगी :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारों पर (नदी तट से 1 से 6 पंक्तियों में)	1-3 पंक्ति- खस, नागर मोथा, लेमन घास, अगेव के स्लीपसए गटायन के बीज एवं स्थानीय घास (2,000) 4-5 पंक्ति - कटंग बांस (1,000) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा अर्जुन, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां (1000)	4,000


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण**

2.	ग्राम- करारागंज, भानपुरा, करहरा खुर्द, खैरउ और बिरगमके ग्रामवासियों में वितरण हेतु	आम, हाइब्रिड बेर, आँवला, मुनगाए सीताफल, नींबू, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	4210
3.	परिवहन मार्ग में (पौधों की न्यूनतम ऊँचाई 1 मीटर)	नीम, पीपल, चिरोल, जंगल जलेबीए आँवला, अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानीय प्रजातियां	140
4.	करारागंज सरकारी विद्यालय में वितरण हेतु (पौधों के सुरक्षा हेतु बांरुझीवाल बना चुकी है।)	कदम्ब, अमलतास, पुत्ररंजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, सीताफल, गुलमोहर इत्यादि।	50
योग			8400

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीणोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।
- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम करारागंज में 01 हैंडपंप के चारों तरफ चबूतरा बनवाकर रेन वाटर हार्वेस्टिंग पिट की स्थापना की जाये।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत करारागंज के माध्यम से गाय, बैल आदि के लिए गौशाला के निर्माण के लिए धनराशि रु. 60000/- प्रदान की जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियों और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

VIII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 15.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स यूफोरिया माईन्स एण्ड मिनरल्स, पार्टनर श्री हिमांशु मीणा, निवासी- 9 ए, पैरामाउंट विला, अंशल श्यामला हिल्स, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 7.0 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम करारागंज, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला छतरपुर का आदेश क्र. 1856 दिनांक 02.09.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

3. प्रकरण क्र. 9908/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी- ई-46, ए, बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 49447.50 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.98 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम बसईमलक, तहसील सेंवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में विशिष्ट शर्तों (परिशिष्ट-1) के साथ निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों सहित पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया:-

- I. प्रस्तावित खदान की उत्पादन क्षमता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित खनन योजना में 49447.50 घनमीटर प्रतिवर्ष, निविदा में निविदत्त मात्रा 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, SEAC से अनुशंसित उत्पादन क्षमता 49447.50 घनमीटर प्रतिवर्ष, जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में 58800 घनमीटर दर्शित है, अतः माननीय एन.जी.टी. के उक्त आदेश दिनांक 22.02.2022 एवं 04.03.2022 के परिपालन में न्यूनतम उत्पादन क्षमता 49447.50 घनमीटर प्रतिवर्ष तक ही मान्य रहेगी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा निविदा में निविदत्त जिले की कुल मात्रा से अधिक उत्पादन मात्रा का उत्खनन नहीं किया जायेगा इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- II. SEIAA द्वारा रेत खनन के प्रकरणों में जारी की जाने वाली समस्त पर्यावरण स्वीकृति माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों के आदेशों/दिशा निर्देशों के अधीन मान्य रहेंगी तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

न्यायालय, माननीय एन.जी.टी. एवं अन्य न्यायालयों द्वारा जारी सभी निर्देशों/निर्णयों का अनुपालन परियोजना प्रस्तावक के लिये बाध्यकारी होगा।

- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत उत्खनन Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 के दिशा निर्देशों के अधीन किया जाना सुनिश्चित किया जायें।
- IV. परियोजना प्रस्तावक वृक्षारोपण कार्य संबंधित वनमंडलाधिकारी, वन विभाग से करवाया जायें तथा इस हेतु आवश्यक धन राशि परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासन के नियमानुसार वन विभाग के FDA एकाउंट में जमा किये जाये तथा तथा संबंधित वनमंडलाधिकारी वन क्षेत्र में स्थल का चयन व योजना तैयार कर वृक्षारोपण करेंगे, आगामी 03 वर्षों तक उनकी देखभाल करेंगे तथा परियोजना प्रस्तावक को सूचित करेंगे तथा 03 वर्षों तक पौधों का मूल्यांकन प्रतिवेदन भेजेंगे।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दर्शित वृक्षारोपण कार्यक्रम के अनुसार (सतत सिंचाई, 03 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख-रखाव के साथ) पौधों का रोपण प्रथम वर्ष (दिनांक 30.6.2023 तक) में किया जावेगा। अथवा परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण योजना में होने वाले व्यय को संबंधित ग्राम पंचायत अथवा वन विभाग को निर्धारित राशी 7,12,500 और 10 परसेंट रख रखाव के लिए 71,250 राशि प्रदान की जायेगी :-

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1	नदी के किनारे 1 से 6 पंक्ति	1-3 पंक्ति - खास, नागरमोथा, लेमन ग्रास, अवेग के स्लीपस, गटायन के बीज एवं स्थानिए घास (700) 4-5 पंक्ति - कटंग बाँस, (500) 6 पंक्ति - करंज, जामुन, लसोड़ा, कहवा, जंगल जलेबी, खमेर, कुसुम, अर्जुन एवं अन्य फलदार वृक्ष एवं स्थानिय प्रजातियाँ (300)	1500
2	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलौ, अमरुद, मुनगा, पपीता, निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियाँ	3750
3	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ों की न्यूनतम ऊंचाई 1 मीटर)	खमेर, चिरौल, करंज, जंगल जलेबी, कदम, कनक चंपा	750
कुल			6000

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. के तहत निर्धारित बजट अनुसार निम्नलिखित गतिविधियों का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा :-

- ग्राम के समीपस्थ क्षेत्र में वर्षा जल संचय का कार्य किया जावे एवं मौजूद जल स्रोतों के संरक्षण एवं जीवोद्धार किया जाये, जिससे कि ग्राम की आवश्यकतानुसार एवं किये गये वृक्षारोपण हेतु समुचित जल की व्यवस्था हो सके।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- ग्राम के शासकीय स्कूल/आंगनबाड़ी की आवश्यकता के अनुरूप पेयजल व्यवस्था एवं शौचालय इत्यादि की व्यवस्था सुदृढ़ की जाये।
- ग्राम बसईमलक स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय में मरम्मत व रंगरोगन का कार्य तथा 50 टेबल – चेयर का सेट प्रदान किया जाये।

साथ ही, परियोजना प्रस्तावक जनपद पंचायत और पीएचईडी के परामर्श से जल जीवन मिशन के तहत राशि का योगदान सुनिश्चित करेगा। परियोजना प्रस्तावक उपरोक्त गांव के स्कूलों व आंगनबाड़ियों में उचित ढांचागत सुविधाएं विकसित करने/उपलब्ध कराने को प्राथमिकता देगा। उपरोक्त गतिविधियाँ और आसपास के गांवों के विकास के लिए आवश्यकता आधारित गतिविधि जिला कलेक्टर और ग्राम पंचायत के परामर्श से पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व अनिवार्यतः कार्यान्वित की जाएगी।

- VII. जिला कलेक्टर द्वारा प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 के पूर्व उपरोक्त सी.ई.आर. अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों/गतिविधियों को संबंधित जिला पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से स्थानीय स्तर पर ग्रामीण विकास के कार्यों की आवश्यकता के दृष्टिगत अनिवार्यतः क्रियान्वयन किया जाये। यदि आवश्यक हो तो परियोजना प्रस्तावक से उपरोक्त शर्त के परिपालन हेतु नियमानुसार आवश्यक राशि जमा करवाकर सी.ई.आर. गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सी.ई.आर. एवं सभी गतिविधियों का अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट विशेष रूप से वृक्षारोपण (वन विभाग के माध्यम से) एवं सी.ई.आर. (जिला प्रशासन/स्थानीय निकाय के समन्वय से) की गतिविधियों का पूर्णतः परिपालन दिनांक 15.06.2023 तक पूर्ण कर अनुपालन प्रतिवेदन फोटोग्राफ सहित SEIAA एवं क्षेत्रीय कार्यालय MoEF&CC को अनिवार्यतः प्रेषित किया जाये। उपरोक्त शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन जिला खनिज अधिकारी द्वारा प्रस्तुत करवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील सिंह भदौरिया आत्मज श्री कृष्णपाल सिंह भदौरिया, निवासी- ई-46, ए. बलवंत नगर, ठाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 499447.50 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.98 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम बसईमलक, तहसील सेंवड़ा, जिला दतिया (म.प्र.)। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला दतिया का आदेश क्र. 5986 दिनांक 26.08.2022 के माध्यम से उक्त खदान को 30.06.2023 तक की सहमति जारी की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 30.06.2023 तक मान्य रहेगी।

4. प्रकरण क्र. 9889/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्री कृष्णा इंटरप्राइजेज., पार्टनर, श्री जीवन पटेल, निवासी ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर, एम. सेण्ड व मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता पत्थर 17236, एम. सेण्ड 17236 व मुरुम 11725 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.44 हेक्टेयर, खसरा 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3, ग्राम कम्पेल, तहसील खुडैल, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

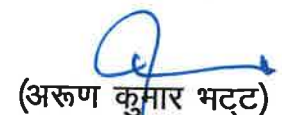

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

XX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एम.सेण्ड हेतु प्लांट एवं मशीनरी की स्थापना एवं रखरखाव व इसके संचालन से संबंधित तकनीकी रिपोर्ट पर व्यय की गई/प्रस्तावित की जाने वाली राशि का पूर्ण विवरण का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. Case No 9900/2023 Shri AJAY KUMAR JAIN Executive Engineer, M.P. Industrial Development Corporation, RO, 101, 1st Floor, Atulya IT Park, Khandwa Road, District-Indore (MP)-452001, Prior Environment Clearance for Proposed Development of 359 ha. Smart Industrial Township Pithampur, Phase-II, Sector-07 (Investment Region Development and Management Scheme) at Pithampur District, Dhar, Indore (M.P.)

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई :-

During presentation Env. Consultant informed committee that the actual name of Project Proponent is Shri N.S. Rajput, Executive Engineer, from MPIDC while on Parivesh Portal the name of Project Proponent i Ajay Kumar Jain Executive Engineer errorly mentioned .Further, during presentation Env. Consultant stated the Forest land involved in the Proposed Development project of 359 ha. at Smart Industrial Township Pithampur while PP stated that no forest land is a part of Proposed Development project.

Hence, the committee asked PP and their Env. Consultant to submit correct name of applicant and amended project details and same shall be submitted on the Praivesh Portal through SELAA

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत SEAC की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 की अनुशंसा को मान्य करते हुए निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार उक्त प्रकरण में परिवेश पोर्टल पर फार्म-3 में Amendment of ToR हेतु आवेदन किया जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 9880/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर, निवासी आकृती ग्रीन, ए-3/605, सलईया, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता विस्तार 20252 से 50866 टन प्रतिवर्ष, रकबा 6.790 हेक्टेयर, खसरा 114, 248, 250, 251, 255, ग्राम भौरदू, तहसील अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरण उत्पादन क्षमता विस्तार के लिये पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है, चूँकि उक्त प्रकरण में SEIAA द्वारा पर्यावरण स्वीकृति दिनांक 06.03.2012 को श्री कृष्णकान्त कोठारी के नाम जारी की गई थी जिसे म.प्र. खनिज साधन विभाग द्वारा आदेश दिनांक 06.04.2021 से मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर के नाम हस्तांतरित की गई है। मेसर्स श्रीनाथ जी इन्फ्रास्ट्रक्चर पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति को अपने नाम हस्तांतरित नहीं कराते हुए सीधे ही उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति को अपने नाम हस्तांतरित करवाये जाने हेतु परिवेश पोर्टल पर फार्म-7 में पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के प्राधिकृत संस्था से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन सहित आवेदन करें इसके उपरान्त ही प्रकरण पर विचार किया जायेगा। अतः प्रकरण को **Close** किया जाये। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 9890/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अनिल कुमार दुबे आत्मज श्री रविशंकर दुबे, निवासी एफ.एफ.-2, डी.डी काम्पलेक्स, दीनदयाल चौक, जिला जबलपुर (म.प्र.) द्वारा मुरुम खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 42330 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.650 हेक्टेयर, खसरा 233, ग्राम मिढासन, तहसील सीहोरा, जिला जबलपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य

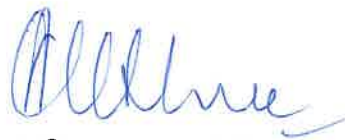

(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 9897/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र साहू आत्मज श्री संतोष साहू निवासी 97, मोहन नगर, आगर रोड़, जिला उज्जैन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 30000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.0 हेक्टेयर, खसरा 546/2, 556/1, 556/2, 556/3, ग्राम रुदाहेडा, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

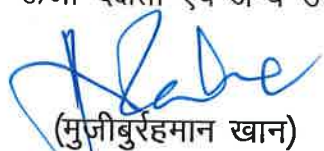
- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

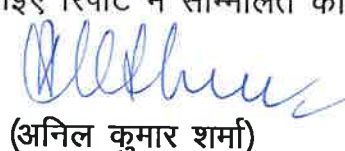

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

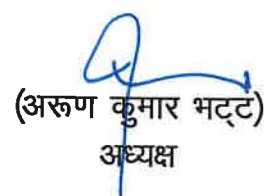
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 9894/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री अमरनाथ शर्मा, निवासी 46 शांती विहार कॉलोनी, थाटीपुर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 19380 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.40 हेक्टेयर, खसरा 675, 677, 678, ग्राम लदेरा, तहसील डबरा, जिला ग्वालियर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव

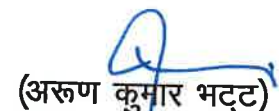

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।

- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रिब्यूट किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।



(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

10. प्रकरण क्र. 9874/2023 परियोजना प्रस्तावक श्रीमती आरती अहिरवार पत्नि श्री सतीश अहिरवार, निवासी ग्राम करोंदा, जिला सागर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 45000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.90 हेक्टेयर, खसरा 941/3पी, ग्राम भीतरी, तहसील निवाड़ी, जिला निवाड़ी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी आदेश क्र. 7446-50 दिनांक 26.05.2022 के माध्यम से उक्त लीज श्रीमती आरती अहिरवार के नाम पट्टा स्वीकृत किया गया है एवं इसी क्षेत्र पर श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम स्वीकृत उत्खनन पट्टे को निरस्त किया गया है। संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म द्वारा जारी आदेश दिनांक 26.05.2022 अनुसार उक्त लीज क्षेत्र पर प्राधिकरण में श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह के नाम पूर्व में पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 9104/2022 में जारी ToR पत्र दिनांक 20.05.2022 को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए अनुशंसित प्रकरण क्र. 9874/2023 में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश/दिशा निर्देशों के अध्याधीन रखते हुए ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जायें एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्चायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 9860/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री सोहन सिंह आत्मज श्री वृंदावन, निवासी असरावद बुर्जुग, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.10 हेक्टेयर, खसरा 199/1/2, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 9055/2022 में SEAC की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई थी जिसके आधार पर SEIAA द्वारा 714वी बैठक दिनांक 24.03.2022 में प्रकरण को निरस्त किया गया। इसी लीज क्षेत्र पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन में SEAC की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

अतः जो प्रकरण पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूर्व में निरस्त किया जा चुका है उसी लीज क्षेत्र पर पुनः पूर्व प्रस्तावक से प्राप्त नवीन आवेदन पर ToR जारी किये जाने की अनुशंसा क्यों की


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गई के संबंध में प्रकरण स्पष्टीकरण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 9859/2023 परियोजना प्रस्तावक कु. ममता पटेल पुत्री श्री बाबूलाल पटेल, निवासी असरावद बुर्जुग, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.80 हेक्टेयर, खसरा 199/1/2, ग्राम मालीखेड़ी, तहसील इंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में SEAC द्वारा पूर्व में पर्यावरण स्वीकृति हेतु पंजीबद्ध प्रकरण क्र. 9062/2022 में SEAC की 560वी बैठक दिनांक 12.03.2022 में पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति जारी नहीं किये जाने की अनुशंसा की गई थी जिसके आधार पर SEIAA द्वारा 714वी बैठक दिनांक 24.03.2022 में प्रकरण को निरस्त किया गया। इसी लीज क्षेत्र पर पुनः पर्यावरण स्वीकृति हेतु प्राप्त आवेदन में SEAC की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में ToR जारी किये जाने की अनुशंसा की गई है।

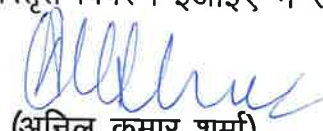
अतः जो प्रकरण पर्यावरण संवेदनशीलता के दृष्टिगत पूर्व में निरस्त किया जा चुका है उसी लीज क्षेत्र पर पुनः पूर्व प्रस्तावक से प्राप्त नवीन आवेदन पर ToR जारी किये जाने की अनुशंसा क्यों की गई के संबंध में प्रकरण स्पष्टीकरण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक एवं संबंधित जिला कलेक्टर को सूचित किया जाये।

13. प्रकरण क्र. 9898/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पी.डी. मिनरल्स प्रा.लि., प्रोपराइटर्स, श्री देवेन्द्र शिवहरे, निवासी - इन्द्रा नगर, करवई, जिला महोबा (उ.प्र.)-210424 द्वारा डोलामाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 101204 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2, 700/2, ग्राम मुगदरा, तहसील नैनपुर, जिला मंडला (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

1. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिष्ठेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैन्युअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये ।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए ।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रे किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये ।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये ।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये ।

14. प्रकरण क्र. 9856/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री रविकांत अग्रवाल आत्मज श्री राम सहाय, निवासी अलूवावीरान, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 20000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.90 हेक्टेयर, खसरा 66पी, ग्राम अलूवावीरान, तहसील नौगांव, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन ।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है । राज्य


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सरस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

15. प्रकरण क्र. 9864/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मनोज अग्रवाल आत्मज श्री सियाराम अग्रवाल, निवासी कालीमाता मंदिर के पास, नैनगढ़ रोड़, जिला मुरैना (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 31920 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.176 हेक्टेयर, खसरा 294/1. ग्राम धनेला, तहसील मुरैना, जिला मुरैना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निम्नलिखित निर्णय लिया गया :-

उक्त प्रकरण में प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश देशांश अनुसार गूगल ईमेज के आधार पर प्रस्तावित खदान एक अन्य स्वीकृत खदान के साथ ओवरलेप होना परिलक्षित है। अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये।

16. प्रकरण क्र. 9896/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एमराल्ड इन्डस्ट्रीज, संचालक, श्री राजेन्द्र लहारिया आत्मज स्व. श्री भगवान दास लहारिया, निवासी ज्ञानगंगा बिल्डिंग, नदी गेट, जयेंद्रगंज, लश्कर, जिला ग्वालियर (म.प्र.) द्वारा फर्शी पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 15300 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.0 हेक्टेयर, खसरा 405, ग्राम खैरोना, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित दस्तावेज प्राप्त किये जाने निर्णय लिया गया :-

1. उक्त प्रकरण में पूर्व में DEIAA द्वारा जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सम्पूर्ण अभिप्रमाणित दस्तावेज (DEIAA रिकार्ड) जिला खनिज अधिकारी से प्राप्त किया जाये।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों का संबंधित प्राधिकृत संस्था से अभिप्रमाणित अनुपालन प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ के साथ प्रस्तुत किया जाये।

उक्त जानकारी जिला खनिज अधिकारी एवं परियोजना प्रस्तावक से 15 दिवस में प्राप्त की जाये।

17. प्रकरण क्र. 9895/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शेखर पाटवाला आत्मज श्री गौरधन पाटवाला, निवासी 72 ग्राम, सुख निवास, जिला इंदौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.60 हेक्टेयर, खसरा 82, 81/1, 81/2, 81/5, ग्राम झिगड़ी, तहसील बड़वाह, जिला खरगौन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

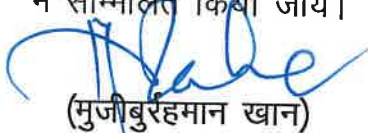

(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।


(मुजीबुरहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

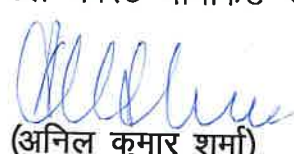
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्विपमेन्ट लगाकर उसका डिस्ट्रिब्यूट किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू हैं की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

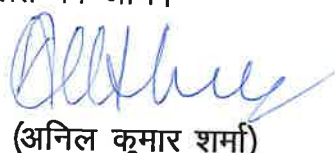
18. प्रकरण क्र. 9888/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स प्रताप इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रोपराईटर श्री विशाल परिहार, निवासी दीवानपारा, सिनेमा लाईन, जिला राजनंदगांव (छ.ग.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 100448 टन प्रतिवर्ष, रकबा 11.410 हेक्टेयर, खसरा 459/1, 385/1, 385/3, 457/1, ग्राम भटगंवा-सुनेहरा, तहसील मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ईआईए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुनर्उपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)

सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)

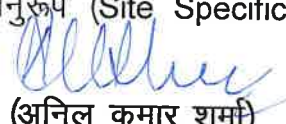
सदस्य

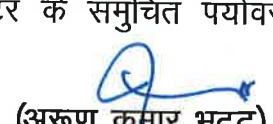

(अरुण कुमार भट्ट)

अध्यक्ष

- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- X. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XI. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।
- XV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्वूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्प्ले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।

XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट वेनिफिट एनालसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 9873/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री विमल बहादुर सिंह आत्मज श्री स्व. श्री ठाकुर विरेन्द्र सिंह, निवासी सतेन्द्र भवन, भट्टा मोहल्ला, तहसील व जिला कटनी (म.प्र.) द्वारा डोलोमाईट खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 98183 टन प्रतिवर्ष, रकबा 8.020 हेक्टेयर, खसरा 417/1 417/2, 420/1, 420/2, ग्राम भटगंवा-सुनेहरा, तहसील मुडवारा, जिला कटनी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 644वी बैठक दिनांक 12.05.2023 में उक्त प्रकरण में मानक एवं अन्य शर्तों (परिशिष्ट-डी) सहित ToR जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है। राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के साथ ToR प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य परियोजना प्रस्तावकों द्वारा संचालित खदानों में SEIAA/DEIAA द्वारा जारी पर्यावरण स्वीकृति की समस्त शर्तों का बिन्दुवार परिपालन किया जा रहा है अथवा नहीं के संबंध में विस्तृत विवरण ईआईए में समाहित किया जाये।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भू-जल दोहन के संबंध में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेशों/दिशा निर्देशों का अनिवार्यतः परिपालन सुनिश्चित कर इसका समावेश ईआईए रिपोर्ट में किया जाये।
- III. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करें कि भू-जल का प्रतिछेदन न हो एवं इस हेतु प्रस्तावित क्षेत्र का विस्तृत Geo hydrological अध्ययन का समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित खदान की जानकारी विभागीय निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी जिला खनिज अधिकारी के माध्यम से नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) में सम्मिलित कर ली जायेगी, जिसका विधिवत अभिप्रमाणीकरण जिला खनिज अधिकारी द्वारा ई.आई.ए रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व की जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार कर उसका अनुपालन कैसे सुनिश्चित किया जायेगा इसका विस्तृत विवरण ईआईए प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जाये।



(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव



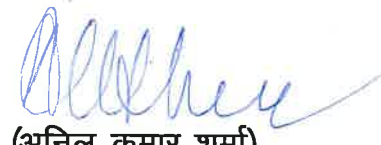
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्टा)
अध्यक्ष

- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्टोन क्रेशर इकाई में शामिल मशीनरीयों के समय-समय पर रखरखाव हेतु योजना बनायेगा तथा इसका अनुपालन कैसे किया जायेगा का ईआईए प्रतिवेदन में उल्लेख किया जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के साथ-साथ लीज क्षेत्र की परिधि में वन विभाग के परामर्श से वृक्षारोपण की योजना तैयार की जाएगी और सभी विवरणों तथा अक्षांश देशांश के साथ वास्तविक स्थल की तस्वीरों को ई.आई.ए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- VIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा जीरो साइज गिट्टी/धूल जो लीज क्षेत्र में भारी मात्रा में जमा हो जाती है, के पुर्नउपयोग की योजना बनाई जाये एवं उसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- IX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहाड़ियों के खनन के कारण पारिस्थितिकी तंत्र को पहुंचने वाली क्षति को कम करने एवं आसपास के क्षेत्र (यदि कोई हो) पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के उचित शमन उपायों के लिए योजना का स्वरूप तथा उसका अनुपालन कैसे किया जायेगा उसे ईआईए में सम्मिलित किया जाये।
- X. परियोजना प्रस्तावक द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में न्यूनतम दूरी के मानदंड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है का पालन करते हुए खनन योजना तैयार की जाये एवं इसका समावेश ईआईए प्रतिवेदन में किया जाये।
- XI. मैनुअल खनन से संबंधित पाउडर/डस्ट फैक्टर के मूल्यांकन कर ईआईए दस्तावेजों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर (एसपीएम) के अनुमान को सुनिश्चित करेगा एवं खदान श्रमिकों पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभाव को समझने के साथ ही कार्यस्थल जनित रोगों की संभावना का मूल्यांकन करने में सहायक होगा।
- XII. खनन गतिविधियों से ग्लोबल वार्मिंग पोटेंसिएल और कार्बन फुट प्रिंट और इसे कम करने के उपायों का अध्ययन किया जाये तथा कार्बन न्यूट्रल की प्रक्रिया सुनिश्चित करने और प्रस्तावित ऊर्जा दक्षता एवं अन्य उपायों को ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIII. विस्तृत मॉनिटरिंग प्रोग्राम के साथ क्लस्टर पर्यावरण प्रबंधन योजना की कार्यप्रणाली तैयार की जानी चाहिए और इसकी कार्यान्वयन योजना के साथ ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XIV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के अधिकतम उपयोग हेतु योजना तैयार कर इसे ईआईए रिपोर्ट में सम्मिलित की जाये।
- XV. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 18-02-2022 के प्रारूप अधिसूचना अनुसार ई.आई.ए. में जनरेटर सेटों के उत्सर्जन मानकों के अनुरूप तौर-तरीकों पर विचार किया जाना चाहिए।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- XVI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ईआईए अध्ययन में वायु गुणवत्ता मॉडलिंग को शामिल करना सुनिश्चित करेगा
- XVII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से एवं उनके द्वारा सुझाये गये स्थान पर खदानों से होने वाले प्रदूषण हेतु निरंतर मॉनिटरिंग इक्व्यूपमेन्ट लगाकर उसका डिस्टले किया जाये एवं अन्य ऐसे पर्यावरणीय बिन्दुओं जो कि समान रूप से सभी पर लागू है की सामूहिक रूप से कार्यवाही सुनिश्चित की जाये तथा ईआईए रिपोर्ट में इसका विस्तृत रूप से विवरण दिया जाये।
- XVIII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा क्लस्टर के सभी खदान संचालकों के सहयोग से क्लस्टर में सम्मिलित सभी खदानों के स्थल अनुरूप (Site Specific) क्लस्टर के समुचित पर्यावरणीय प्रबंधन हेतु जिला प्रशासन एवं स्थानीय निकाय से समन्वय कर कार्य योजना तैयार की जाये एवं इस कार्ययोजना का ईआईए रिपोर्ट में समावेश किया जाये।
- XIX. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इन्वायरमेन्टल कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का विस्तृत विवरण का समावेश ईआईए में किया जाये।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

नीतिगत निर्णय :-

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के संदर्भ में ToR जारी किये जाने की प्रक्रिया में आवश्यक संशोधन बावत्।

प्राधिकरण द्वारा 786वी बैठक दिनांक 11.05.2023 में परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदित आवेदन क्र. 407669/2022 एवं 425977/2023 निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. द्वारा ग्राम भदनपुर जिला सतना में लाईमस्टोन खदान, रकबा 217.681 हेक्टेयर पर उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 407669/2022 एवं ग्राम तिलोरा, जिला सतना लाईमस्टोन खदान, रकबा 193.252 हेक्टेयर पर उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन क्र. 425977/2023 पर SEIAA में विचार करने बाबत।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त प्रकरणों में ई-मेल दिनांक 17.04.2023 के माध्यम से भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 06.05.2022 की प्रति संलग्न करते हुए Standard TOR जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 के पैरा 04 एवं 05 में निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित है :-

".....4. Based on the above matrix, the mechanism for issuing online system generated Standard ToR as well as reference to EAC/SEAC has been enabled on the PARIVESH Portal, on the acceptance of the complete application online. The concerned Member Secretary of EAC/SEAC shall refer the project to the concerned EAC/SEAC for prescribing additional ToR within fifteen days, if deemed necessary, depending on environmental sensitivity involved in siting the project at proposed location or any other issues involved in the project.


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण

5. In this regard, it is hereby directed that the Member Secretaries of the concerned EAC/SEAC shall scrutinize the applications as per the provisions mentioned above within seven days from the date of application for issuing online system generated Standard ToR and shall refer the application for grant of ToR to EAC/ SEAC only as an exception depending upon the environmental sensitivity involved or as aforementioned guidelines mandate

प्राधिकरण द्वारा वर्तमान प्रक्रियानुसार SEAC की अनुशंसा उपरांत ही प्रकरणों में ToR अतिरिक्त शर्तों के साथ जारी किया जाता है।

प्राधिकरण द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. द्वारा उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/407669/2022 एवं SIA/MP/MIN/425977/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर दोनो प्रकरण पंजीबद्ध कर Standard ToR जारी किया जाये एवं उक्त प्रकरणों की तकनीकी नस्ती (हार्डकॉपी) SEAC को परीक्षण उपरांत अतिरिक्त ToR जारी किये जाने हेतु अग्रेषित की जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णित कार्यवाही में पुनः विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार कार्यवाही निर्णित की जाती है :-

मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेन्ट लि. द्वारा उत्पादन क्षमता विस्तार हेतु परिवेश पोर्टल पर आवेदित आवेदन क्र. SIA/MP/MIN/407669/2022 एवं SIA/MP/MIN/425977/2023 में भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 06.05.2022 में निर्णित कार्यवाही के परिपालन में SEIAA स्तर पर दोनो प्रकरण पंजीबद्ध कर Standard ToR जारी किया जाये तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

B- राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 में लिये गये नीतिगत निर्णय के परिपालन बावत् ।

SEAC द्वारा पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदित कलस्टर के अधिकतर प्रकरणों में निम्नानुसार लेख किया जा रहा है :-

".....प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तों का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।"

राज्य स्तरीय समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त के संबंध में विस्तृत चर्चा एवं विचार विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्राधिकरण की 784वीं बैठक दिनांक 04.05.2023 के नीतिगत निर्णय अनुसार पर्यावरण स्वीकृति हेतु निम्नानुसार तालिका में दर्शित आवेदित प्रकरण के कलस्टर के प्रकरणों में जारी पर्यावरण स्वीकृति की शर्तों के अनुपालन की वास्तविक स्थिति के संबंध में जिला स्तर पर स्थल निरीक्षण कर SEIAA कार्यालय को अवगत कराये जाने हेतु संबंधित जिला कलेक्टर एवं सदस्य सचिव, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पत्र प्रेषित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव

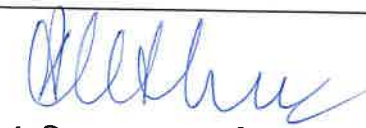

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण

S. No	Title
4.	Case No 9889/2023 Shri Jeewan Patel, Partner, M/s Shree Krishna Enterprises, R/o Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)-452020, Prior Environment Clearance for Kampel Stone M-sand & Murrum Quarry in an area of 3.44 ha. (Stone-17,236, Murrum-11,725, M-sand-17236 Cum per annum) (Khasra No. 2471, 2574, 2573/4, 2573/1, 2573/3), Village-Kampel, Tehsil-Khudel, District-Indore (MP)
6.	Case No 9880/2023 M/s Shreenathji Infrastructure, Aakriti Greens, A-3/605, Salaiya, District-Bhopal (MP)-462039 Prior Environment Clearance for Bhordu Dolomite Mine in an area of 6.790 ha. (Expansion from 2025 to 50,866 Tonne per annum) (Khasra No. 114, 248, 250, 251, 255) Village- Bhordu, Tehsil-Alirajpur, District-Alirajpur (MP)
7.	Case No 9890/2023 Shri Anil Dubey, Owner, FF2, DD Complex, Vijay Nagar, Near Deendayal Chowk, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Midasan Murrum Quarry in an area of 3.65 ha. (9800 Cum per annum) (Khasra No. 233P), Village- Midasan, Tehsil-Sihora, District-Jabalpur (MP)
8.	Case No 9897/2023 Shri Bhoopendra Sahu, Lessee, R/o 97, Mohan Nagar, Agar Road, District-Ujjain (MP)-456001, Prior Environment Clearance for Rudaheda Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.00 ha. (30000 Cum per annum) (Khasra No. 546/2, 556/1, 556/2, 556/3), Village- Rudaheda, Tehsil-Ghattiya, District- Ujjain (MP)
9.	Case No 9894/2023 Shri Amarnath Sharma, R/o 46, Shanti Vihar Colony, Thatipur, District-Gwalior (MP)-474011, Prior Environment Clearance for Ladhera Stone Quarry in an area of 2.40 ha. (19,380 Cum per annum) (Khasra No. 675, 677, 678), Village- Ladhera, Tehsil-Dabra, District-Gwalior (M.P.)
13.	Case No 9898/2023 Shri Devendra Shivhare, Owner, R/o Indra Nagar, Kabrai, District-Mahoba (UP)-210424, Prior Environment Clearance for Mugdara Dolomite Mine in an area of 4.80 ha. (101204 Tonne per annum) (Khasra No. 720/2, 700/1, 720/3, 721/2, 720/1, 721/1/2, 725/2, 708/2, 709/2, 710, 711, 712/2, 717/2, 718/2, 719/2 & 700/2), Village-Mugdara, Tehsil-Nainpur, District- Mandla (MP)
15	Case No 9864/2023 Shri Manoj Agarwal S/o Shri Siyaram Agarwal R/o Kali Mata Mandir Ke Pass Naingarh Road, District- Morena (MP)-476001. Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.176 ha. (31920 Cum Per Year) (Khasra No. 2941) Village- Dhanela, Tehsil-Morena, District-Morena (MP)
16	Case No 9896/2023 M/s Emerald Industries Limited, Vijaya Nagar, Behind Sanskar Garden, Chetakpuri, Gird, Lashkar, District-Gwalior (MP)-474009, Prior Environment Clearance for Kherona Flagstone Mine in an area of 4.00 ha. (15300 Cum per annum) (Khasra No. 405), Village- Kherona, Tehsil-Shivpuri, District- Shivpuri (MP)
17	Case No 9895/2023 Shri Shekhar Patwala, R/o 72, Sukh Niwas, Gram-Sukh Niwas, District-Indore (MP)-452013, Prior Environment Clearance for Jhigadi Stone Quarry in an area of 3.60 ha. (50000 Cum per annum) (Khasra No. 82, 81/1, 81/2, 81/5), Village- Jhigadi, Tehsil-Badwaha, District-Khargone (MP)
18	Case No 9888/2023 Shri Vishal Parihar, Proprietor, R/o Diwanpura, Cinema Line, District-Rajnandgaon (CG)-491441, Prior Environment Clearance for Bhatgawa-Sunehara Dolomite Mine in an area of 11.410 ha. (100448 Tonne per annum) (Khasra No. - 459/1, 385/1, 385/3, 457/1), Village- Bhatgawa-Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

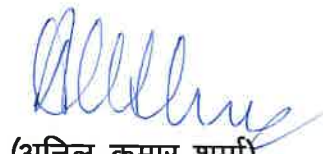

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण

19	Case No 9873/2023 Shri Vimal Bhadur Singh S/o Late Shri Thakur Virendra Singh R/o Satendra Bhawan, Bhatta Mohalla, Tehsil & District Katni (MP)-499501, Prior Environment Clearance for Dolomite Quarry in an area of 8.020 ha. (98183 TPA) (Khasra No. 417/1, 417/2, 420/1, 420/2), Village-Bhatgawa Sunehara, Tehsil-Murwara, District-Katni (MP)
----	---

तदनुसार म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, पर्यावरण विभाग, संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म एवं सदस्य सचिव, SEAC को सूचनार्थ पत्र प्रेषित किया जाये।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

गौण खनिज (रेत खनिज) श्रेणी की विशिष्ट शर्तें:

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पूर्व पट्टा क्षेत्र के चारों ओर फेंसिंग लगाई जाये एवं पट्टा क्षेत्र के चार कोनों पर चेतावनी संकेतकों की स्थापना के साथ उचित निगरानी और सुरक्षागार्ड की व्यवस्था की जायेगी।
2. परियोजना क्षेत्र एवं अन्य प्रस्तावित क्षेत्रों में वृक्षारोपण संबंधित कार्यों में संबंधित क्षेत्र के वनमंडलाधिकारी के परामर्श अनुसार संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से CSR/CER एवं अशासकीय निधियों के उपयोग हेतु राज्य शासन द्वारा निर्धारित वृक्षारोपण नीति का परिपालन सुनिश्चित किया जाये।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभाग से खनन अनुबंध निष्पादित होने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा।
4. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि अनुमोदित खनन योजना में उल्लेखित अनुसार ही खनन पट्टा क्षेत्र में वार्षिक रेत पुर्नभरण की पूर्ति निर्धारित स्तरों पर खनन कार्यों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है।
5. परियोजना प्रस्तावक नदी के बेसिन के भीतर किसी भी प्रकार का रैंप स्थापित नहीं करेगा तथा जिस किनारे पर रेत उपलब्ध है उसी किनारे से परिवहन की अनुमति कार्य किया जायेगा।
6. परियोजना प्रस्तावक नदी के जल प्रभाव वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं करेगा एवं स्थानीय अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि केवल नदी के सूखे हिस्से में जहां रेत की उपलब्धता हो वही तक खनन गतिविधिया सीमित की जाये।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रतिबद्धता अनुसार जलभराव क्षेत्र को गैर-खनन क्षेत्र के रूप में छोड़ा जायेगा।
8. परियोजना प्रस्तावक यह सुनिश्चित करेगा कि रेत के गड्ढे की गहराई स्वीकृत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार ही हो।
9. परियोजना प्रस्तावक कच्ची सड़क के स्थान पर पक्का पहुंच मार्ग का निर्माण सुनिश्चित करेगा और खनिज के परिवहन हेतु ग्राम क्षेत्र के बाहर से वैकल्पिक मार्ग की योजना तैयार ग्राम पंचायत के परामर्श अनुसार करेगा।
10. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी रेत उत्खनन सतत रेत खनन प्रबंधन दिशानिर्देश, 2016 एवं प्रवर्तन और निगरानी दिशानिर्देश, 2020 का सख्ती से परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. परियोजना प्रस्तावक म.प्र. खनिज संसाधन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना 30.08.2019 के अनुसार 5 हेक्टेयर पट्टा क्षेत्र तक रेत खनन पद्धति के लिए दिये गये निर्देश एवं प्रावधान का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


(मुजीबुरहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 789वी बैठक दिनांक 30.05.2023
का कार्यवाही विवरण

12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यदि धारा सूखी है, तो उत्खनन धारा की सबसे कम अबाधित एलिवेशन से आगे नहीं बढ़ेगा, जो कि स्थानीय हाइड्रोलिक्स, जल विज्ञान और भू-आकृति विज्ञान का एक कार्य है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मानसून अवधि में कोई खनन नहीं किया जाएगा।
14. खनिज की ओवरलोडिंग परिवहन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दुर्घटनाओं से बचने के लिए परिवहन मार्गों पर चेतावनी संकेतों की स्थापना की जायेगी।
16. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पहुंच मार्ग के धूल दमन हेतु नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जायेगा तथा वृक्षारोपण व पीने के लिये (विशेष रूप से गर्मी के मौसम में) उचित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
17. परियोजना प्रस्तावक प्राथमिकता के आधार पर आसपास के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।
18. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना अनुसार वृक्षारोपण, धूल दमन, पहुंच सड़क के निर्माण और मौजूदा पक्की सड़क के रखरखाव के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेगा। इस हेतु पर्यावरण प्रबंधन योजना में अतिरिक्त बजट प्रावधान किया जाएगा।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा वृक्षारोपण, सीईआर एवं सभी गतिविधियों के फोटोग्राफ अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट के साथ एमपी-एसईआईए को प्रस्तुत करेगा। यदि परियोजना प्रस्तावक अर्धवार्षिक अनुपालन रिपोर्ट को अपलोड करने में विफल रहता है या संबंधित प्राधिकरण (एसईआईए और क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, भोपाल) को पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों की लगातार दो छमाही अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो परियोजना प्रस्तावक को जारी की गई पूर्व पर्यावरण मंजूरी निरस्त की जायेगी।
20. यदि माईनिंग लीज का स्वामित्व बदल जाता है, तो नवीन परियोजना प्रस्तावक को एसईआईए को पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण के लिए तुरंत आवेदन करना होगा। बिना पर्यावरण स्वीकृति हस्तांतरण तक परियोजना प्रस्तावक उक्त खदान में तब तक खनन स्थगित रखेगा, जब तक कि एसईआईए द्वारा उक्त पर्यावरण स्वीकृति नवीन परियोजना प्रस्तावक के नाम हस्तांतरित ना हो जाये।
21. खनि पट्टा क्षेत्र के अंदर किये गये सभी कार्य जैसे फेंसिंग, वृक्षारोपण और सीईआर गतिविधियों के तहत किए जाने वाले सभी कार्यों को जिला प्रशासन के परामर्श से आगे के रखरखाव के लिए ग्राम पंचायत को सौंपा जायेगा। परियोजना प्रस्तावक पटवारी रजिस्टर में सभी सूचनाओं को दर्ज करना भी सुनिश्चित करे।


(मुजीबुर्रहमान खान)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष